वर्ष 4, संख्या 69

राष्ट्र महिला

जुलाई 2005 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2005, जिसे हाल ही में मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली है, एक ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर गत दो दशकों से अधिकाधिक ध्यान आकर्षित होता रहा है। घरों में महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा पर अंकुश लगाने की आवश्यकता के प्रति बढ़ती हुई जागरुकता के परिणामस्वरूप, 1983 में भारतीय दंड संहिता में धारा 498क को जोड़कर इस अपराध को फौजदारी का मामला बना दिया गया था। इसमें, पति अथवा उसके परिवार द्वारा महिला पर अत्याचार करने पर तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया था।

वर्तमान विधेयक वर्ष 2001 से लटका पड़ा था और 13वीं लोक सभा के भंग होने पर व्यपगत हो गया। दिसम्बर, 2004 में इस विधेयक में आगे संशोधन करके और भी सुधार किया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में वास्तविक मार-पिटाई ही नहीं अपितु धमकी को भी शामिल किया गया है, अर्थात्, शारीरिक, यौनिक, मौखिक, भावात्मक या आर्थिक प्रकार की धमकी; और इससे भी ऊपर उठ कर इसमें ऐसी अकेली महिला को भी शामिल किया गया है जो बिना विवाह किए किसी पुरुष के साथ पत्नी-स्वरूप रह रही है और उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो संयुक्त परिवारों में रह रही हैं - बहनें, माताएं, विधवाएं - जिनके साथ बहुधा शारीरिक अथवा भावात्मक दुर्व्यवहार किया जाता है। महिला अथवा उसके रिश्तेदारों से दहेज की मांग द्वारा उसका उत्पीड़न भी इस परिभाषा में आता है।

परन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड वह है जिसमें महिला को मकान के एक भाग में रहने का अधिकार दिया गया है। विधेयक में प्रावधान है कि भले ही

चर्चा में | घरेलू हिंसा विधेयक 2005

किसी महिला का अपने वैवाहिक गृह में स्वामित्वाधिकार हो या नहीं, उसे वहां रहने का हक होगा। किसी मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा यह हक प्राप्त किया जा सकेगा।

विधेयक के प्रारूप में यह प्रावधान भी है कि डाक्टरी मुआयना, कानूनी सहायता, सुरक्षित रिहाइश आदि के संबंध में पीड़ित की सहायता करने के लिए संरक्षण अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति की जायेगी। पीड़ित को राहत पहुंचाने के लिए न्यायालय को संरक्षण आदेश जारी करने के ये अधिकार दिए गये हैं कि वह दुर्व्यवहारी व्यक्ति को घरेलू हिंसा अथवा कोई अन्य निर्दिष्ट कृत्य करने अथवा उसमें सहायक होने, किसी कार्यस्थल पर अथवा अन्य स्थान पर जहां पीड़िता का बहुधा आना-जाना रहता है उस व्यक्ति के घुसने, पीड़िता के साथ किसी प्रकार का संपर्क स्थापित करने के प्रयास आदि पर रोक लगाने के आदेश जारी कर सकता है।

ऐसे पितृ-प्रधान समाज में जहां महिलाओं को अपने अधिकारों से बहुधा वंचित रखा जाता है, यह विधेयक एक प्रगतिवादी कदम है जिससे घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। आंकड़े दर्शाते हैं कि 45 प्रतिशत महिलाओं को उनके पति चांटे या लात-घूंसे मारते हैं और प्रताड़ित महिलाओं में से 75 प्रतिशत आत्महत्या करने की बात सोचती है।

अधिकतर मामलों में, गैर सरकारी संगठनों से लिए गये संरक्षण अधिकारी पुलिस की अपेक्षा महिला की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे। कुछ लोगों का यह तर्क हो सकता है कि वर्तमान रूप में प्रावधानों का कुछ लालची व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, परन्तु यह बात तो सभी कानूनों पर लागू होती है। किन्तु यह सच है कि अकेले कानूनों से कोई समाज बदला नहीं जा सकता, यद्यपि कानूनी संरक्षण महिलाओं को लम्बे अरसे से चले आए अन्याय से लड़ने के लिए काफी हद तक आत्म-विश्वास प्रदान कर सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल को महिला उत्पीड़न विधेयक का प्रारूप भेजा

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक' का प्रारूप केन्द्रीय मंत्रिमंडल को विचारार्थ तथा संसदीय स्वीकृति के लिए भेजा।

नई दिल्ली में 'फिक्की महिला संगठन' द्वारा आयोजित "क्या मात्र कानून बनाने से महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा आश्वस्त की जा सकती है?" विषय पर पेनल चर्चा में बोलते हुए, आयोग की अध्यक्ष डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग द्वारा तैयार किए गये विधेयक में संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के उपाय सुझाए गये हैं और कार्यस्थल पर ऐसे अपराधों को रोके जाने के ठोस उपाय दिए गये हैं।

रात की पारी में काम करने वाली महिलाओं को लाने और ले जाने के लिए परिवहन सुविधाएं प्रदान किए जाने की बात भी विधेयक में कही गयी है।

परन्तु डा. व्यास ने बताया कि कानून अपने आप में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है क्योंकि कानून को लागू करने वाले, चाहे वे पुलिस-कर्मी हों या राजनीतिज्ञ, कानून में कोई न कोई कमियां निकाल लेंगे और इस प्रकार न्याय प्रक्रिया का मखौल बना कर रख देंगे।

अध्यक्ष ने कहा कि लड़कियों को छोटी उम्र से ही घर पर लिंग संवेदीकरण एवं आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि बड़े होने पर मानसिकता बदलना कठिन हो जाता है।

फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष सुश्री ऊषा अग्रवाल ने कहा कि बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाएं महिलाओं के लिए एक बड़ा खतरा हैं। कानून प्रवर्तन में अविश्वास तथा कलंक लगने के डर से यौनिक दुर्व्यवहार के मामलों की बहुधा रिपोर्ट नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि "बलात्कार पीड़ितों का पुनर्वास समाज के लिए एक चुनौती है।"

पुलिस की 'महिलाओं के प्रति अपराध कक्ष' की संयुक्त आयुक्त सुश्री विमला मेहरा ने श्रोताओं को बताया कि दिल्ली पुलिस ने सभी थानेदारों तथा उप-थानेदारों के लिए महिलाओं के प्रति संवेदीकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है ताकि महिलाओं पर किए जाने वाले अपराधों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाये।

कार्यशाला में वक्तागण (बायें से) डा. पद्मा सेठ, सुश्री रंजना कुमारी, सुश्री एमी हेमलिन, डा. सयीदा हमीद और डा. गिरिजा व्यास

राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक संस्थान कार्यशाला

आयोग की अध्यक्ष सुश्री गिरिजा व्यास ने "मुस्लिम दक्षिण एशिया में महिला राजनीतिक नेताओं को समर्थन" विषय के कार्यक्रम के भाग के रूप में नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक संस्थान द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया। अध्यक्ष ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में "महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान" विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला का उद्देश्य एक क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से सभी पार्टियों तथा देशों की महिलाओं को साथ-साथ लाना था। कार्यशाला में अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान तथा भारत की महिलाओं ने भाग लिया।

सदस्यों के दौरे

- उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सुश्री इमराना का अपने ससुर द्वारा कथित बलात्कार किए जाने के मामले की जांच करने वाले दल की सदस्य के रूप में आयोग की सदस्य सुश्री यास्मीन अब्रार वहां गयीं। एक घरेलू नौकरानी के कथित सामूहिक बलात्कार के मामले की जांच करने वह सुश्री नीवा कंवर के साथ लखनऊ भी गयीं।
- उड़ीसा की राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित कानूनी जागरुकता कार्यक्रम एवं लोक अदालत में भाग लेने के लिए सदस्य सुशीला तिरिया भुवनेश्वर गयीं। तत्पश्चात्, उन्होंने धनकानल में आयोजित एक कानूनी जागरुकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सम्पत्ति अधिकारों, मद्यपान और नशीली दवाओं का सेवन रोकने में महिलाओं की भूमिका, एफ.आई.आर. दर्ज कराना, पुलिस हिरासत में महिलाएं आदि विषयों पर चर्चा की गयी।

'मयूरभंज में महिलाओं की स्थिति' विषय पर जिला मयूरभंज के बरीपाद में आयोजित एक सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया और बाद में शरत बलात्कार के मामले में जिला कल्याण केन्द्र तथा पुलिस अधीक्षक के साथ चर्चा की। उन्हें बताया गया कि एक एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गयी है और जांच-पड़ताल शुरू हो गयी है।

मयूरभंज सम्मेलन में सुश्री सुशीला तिरिया

'महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार में सरकार, गैर सरकारी संगठनों तथा उद्योगों की भूमिका' पर भुवनेश्वर में आयोजित एक कार्यशाला में भी उन्होंने भाग लिया। इस कार्यशाला में महिला पीड़ितों और गरीब तथा पिछड़ी महिलाओं के लिए काम के अवसर तथा उनका पुनर्वास और नौकरी की तलाश

छात्राओं के बचाव की 'रक्षा परियोजना'

छात्राओं को तंग तथा उत्पीड़ित करने वालों से उनके बचाव के लिए दिल्ली सरकार ने 6 लाख छात्राओं को 'रक्षा परियोजना' के अंतर्गत प्रशिक्षित करने का अभियान चलाया है।

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की दृष्टि में, शिक्षा विभाग ने पुलिस के निकट सहयोग से समाज-विरोधी तत्वों का सामना करने के लिए छात्राओं को आत्म-रक्षा की तैयारी के प्रशिक्षण की एक विस्तृत योजना बनाई है।

आयोग सुरक्षा बलों को महिला संवेदित करना चाहता है

उत्तर-पूर्वी राज्यों में महिलाओं और लड़कियों के यौन-उत्पीड़न तथा अनैतिक व्यापार के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सशस्त्र तथा अर्ध-सैनिक बलों को महिलाओं के प्रति संवेदीकृत करने का सुझाव दिया है।

आयोग के साथ हुई एक बैठक में, उत्तर-पूर्वी राज्यों की विशेषज्ञ समिति ने भी यह निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में महिलाओं के अनैतिक व्यापार तथा एच.आई.वी./एड्स के विस्तार का अध्ययन किया जाये।

अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय तथा त्रिपुरा राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्षाओं ने कहा कि कृषि, दस्तकारी तथा बुनाई में लगी महिलाओं की दशा पर पड़े वैश्वीकरण के प्रभाव के अध्ययन की आवश्यकता है।

में प्रवास करने वाले लोगों पर स्थानीय गैर सरकारी संगठन द्वारा एच.आई.वी. की रोकथाम के प्रयोजन से निगाह रखने के लिए रजिस्टर रखे जाने के विषयों पर जोर दिया गया। कार्यशाला में यह सुझाव भी दिया गया कि अनैतिक व्यापार करने वालों को आजीवन कारावास का दंड दिया जाना चाहिए तथा अधिक संख्या में पुनर्वास केन्द्र खोले जाने चाहिए।

- सदस्य मालिनी भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल महिला आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों के साथ एक बैठक की जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि राज्य में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कोई प्रारंभिक योजना तैयार की जाये। राज्य महिला आयोग कोलकाता में पारिवारिक महिला अदालतें आयोजित करने तथा गैर सरकारी संगठनों, बौद्धिकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए तैयार हो गया है। सुश्री भट्टाचार्य ने सुझाव दिया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख बिन्दु "महिलाओं का कार्य और महिलाओं का स्वास्थ्य" होना चाहिए।

  सदस्य ने शान्ति निकेतन में सिउरी टाउन तथा रामपुर हाट में तुम्बानी गांव का दौरा भी किया जहां वह स्थानीय डॉन बोस्को रेजीडेंशल स्कूल एवं नागरी गर्ल्स हाई स्कूल में लगभग 100 जनजातीय लड़कियों से मिलीं। इन स्कूल की लड़कियों से उन्होंने उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, होस्टल में उपलब्ध भोजन तथा सुविधाओं के संबंध में बात की और स्कूल बीच में छोड़ देने की समस्या पर भी विचार-विमर्श किया। कुछ अध्यापिकाएं भी मौजूद थीं। तुम्बानी में बड़ी संख्या में जनजातीय महिलाएं और पुरुष उपस्थित थे। वहां एकत्रित लगभग 100 महिलाओं के साथ सदस्य ने उनकी विभिन्न समस्याओं के बारे में बात की। बाद में, उन्होंने विश्वभारती विश्वविद्यालय के उप-कुलपति तथा रजिस्ट्रार के साथ एक बैठक की और साथ लगे बीरभूमि तथा मुर्शिदाबाद जिलों में विश्वविद्यालय की सहायता से 'काम तथा स्वास्थ्य के बीच संबंध' विषय पर अध्ययन किए जाने की संभावना पर विचार किया। उप-कुलपति ने वादा किया कि इस अध्ययन में रुचि रखने वाले विभागों की पहचान कर वह उन्हें सूचित करेंगे।

- सदस्य नीवा कंवर ने तेजपुर में 'उत्तर-पूर्व में महिलाओं का विकास' विषय पर एक सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में प्रमुखत: कारबी आंगलोन जिले में ऋण-मूलक आयोजन द्वारा समुदाय आधारित विकास किए जाने का मुद्दा चर्चित रहा।

  बाद में, वह शिवसागर गयीं और स्व-सहायी दलों की एक बैठक में भाग लिया। शिवसागर के थौरा चुनाव-क्षेत्र के चार तालुकों की लगभग 100 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। सदस्य ने राष्ट्रीय महिला आयोग के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में उन्हें जानकारी दी।

  अगले दिन उन्होंने शिवसागर के उप-आयुक्त के साथ महिलाओं, विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण महिलाओं, के मुद्दों पर चर्चा की। शिवसागर के गैर सरकारी संगठनों के साथ भी उन्होंने एक बैठक की जिसमें वहां की कुछ उद्यमी महिलाओं ने कहा कि बैंकों द्वारा महिला उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण नहीं दिया जाता और आग्रह किया कि बैंकों से महिला उद्यमियों के लिए ऋण का कुछ कोटा निर्धारित करने के लिए कहा जाये। सदस्य ने उन्हें विश्वास दिलाया कि निकट भविष्य में महिला उद्यमियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए आयोग एक कार्यक्रम बनाएगा।

सुश्री नीवा कंवर स्व-सहायी दलों के जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित करती हुयी

महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए विशेष डेस्क की स्थापना

महिलाओं तथा बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार पुलिस थानों पर विशेष डेस्कों की स्थापना कर रही है। डेस्क अधिकारियों से कहा गया है कि प्रभावशाली ढंग से अपराधियों की धर-पकड़ के लिए वे गैर सरकारी संगठनों तथा जनता के प्रतिनिधियों, विशेषकर विभिन्न क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, से संपर्क स्थापित करके महिलाओं तथा बच्चों की अनैतिक व्यापार संबंधी संसूचना एकत्रित करने के विशेष प्रयास करें।

डेस्क से संबंधित अधिकारी यह सूचना एकत्रित करेंगे कि विभिन्न तरीकों से, जैसे विवाह करने, काम दिलाने आदि के गलत वादे करने के बाद, महिलाओं और बच्चों का किस प्रकार शोषण किया जाता है।

आयोग का बलात्कार कानूनों में परिवर्तन का सुझाव

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार को बलात्कार कानूनों में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है।

उसने मांग की है कि द्रुतगामी न्यायालयों की स्थापना करके बलात्कार के आरोपी को कठोर दंड दिये जाने का प्रावधान किया जाये और पीड़िता को सरकार द्वारा मुआवजा भी दिया जाये।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों के सम्पर्क टेलीफोन नंम्बर

1. **डा. गिरिजा व्यास**
   अध्यक्ष
   फोन : 23236204, 23230785, 23236270
2. **सुश्री यास्मीन अब्रार**
   सदस्य
   फोन : 23237240
3. **सुश्री सुशीला तिरिया**
   सदस्य
   फोन : 23236202
4. **सुश्री नीवा कंवर**
   सदस्य
   फोन : 23236153
5. **सुश्री मालिनी भट्टाचार्य**
   सदस्य
   फोन : 23236203
6. **श्री एन.पी. गुप्ता**
   सदस्य सचिव
   फोन : 23236271

आयोग ने अनिवासी भारतीय महिला की सहायता की

राष्ट्रीय महिला आयोग ने विदेश मंत्रालय को एक महिला को न्याय दिलाने के लिए लिखा है जिसे कथित रूप से उसके पति ने दहेज के लिए भारत तथा बल्गेरिया में तंग किया और एक बल्गारियाई महिला के साथ अवैध संबंध स्थापित कर उसे मानसिक यातना दी। यह महिला बल्गेरिया के सोफिया विश्वविद्यालय में भारत-शास्त्र विभाग में अंश-कालिक लेक्चरर है।

श्री नटवर सिंह को लिखे एक पत्र में आयोग की अध्यक्ष डा. गिरिजा व्यास ने उनसे सोफिया में भारतीय दूतावास को यह आदेश देने का निवेदन किया है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क करके महिला को संरक्षण दें तथा न्याय दिलाएं।

आयोग ने गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक को भी इस मामले में जांच तथा कार्यवाही करने को लिखा है।

गांवों में बहुओं की नयी भूमिका

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने गांवों में बहुओं के लिए 'आशा' नाम से एक नयी भूमिका का सृजन किया है – 'आशा' अर्थात् एक्रेडिटेड सोशल हैल्थ एक्टिविस्ट (मान्यता प्राप्त समाज स्वास्थ्य कार्यकर्ता) गांव के वंचित वर्गों, विशेषकर महिलाओं तथा बच्चों, की स्वास्थ्य संबंधी किसी जरूरत के लिए वे स्वास्थ्य केन्द्रों तथा गांवों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगी। वे स्वास्थ्य के बारे में जागरुकता पैदा करेंगी। वे विद्यमान स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक उपयोग तथा उत्तरदायित्व भी आश्वस्त करेंगी।

'आशा' कार्यकर्ता गांव की महिलाओं को शिशु जन्म की तैयारी, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, रोगों से प्रतिरक्षा, गर्भ निरोधक उपायों तथा आमतौर से होने वाले संक्रमणों की रोकथाम पर सलाह देगी। वह ऐसी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के साथ पूर्व-निर्धारित निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र तक जायेगी अथवा किसी को भेजेगी जिन्हें उपचार की आवश्यकता है।

दस्त लगने और बुखार आने में प्राथमिक इलाज करने तथा मामूली चोटों के मामले में प्रारंभिक उपचार करने का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जायेगा। वह मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे मौखिक निर्जलीकरण उपचार, क्लोरोक्विन, डिस्पोजेबल प्रसूति उपकरण, खाने वाली गोलियां तथा कंडोम भी प्रदान करेगी। इसकी इस भूमिका के स्तर को लगातार दो वर्षों तक या उससे भी अधिक समय तक प्रशिक्षण द्वारा आधुनिक बना कर प्रोन्नत किया जायेगा।

आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को "मानवीय आधारों" पर "न्याय दिलाने" के लिए, इमराना बलात्कार मामले में कदम उठाने को कहा है।

श्री यादव को लिखे पत्र में आयोग की अध्यक्ष डा. गिरिजा व्यास ने आग्रह किया है कि वह आश्वस्त करें कि देश के कानून का पालन हो और इस मामले को एक त्वरित न्याय अदालत को भेज कर जल्द से जल्द न्याय दिलवाएं। आयोग ने इमराना को 4 से 5 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने की बात भी कही है।

घटना का सीधा विवरण जानने के लिए आयोग का एक सात-सदस्यीय दल इमराना से मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में उसके गांव में जाकर मिला। इमराना ने न्यायपालिका में अपना विश्वास तो व्यक्त किया, किन्तु कहा कि वह धार्मिक कानूनों का पालन करेगी। इमराना के ससुर पर उसका बलात्कार किए जाने का आरोप है और देवबंद के मुफ्तियों ने एक फतवा जारी करके कहा है कि इस घटना के बाद वह अपने पति के साथ न रहे। उसने आयोग को बताया कि फतवा अभी तक उसे नहीं मिला है किन्तु कहा कि वह अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती।

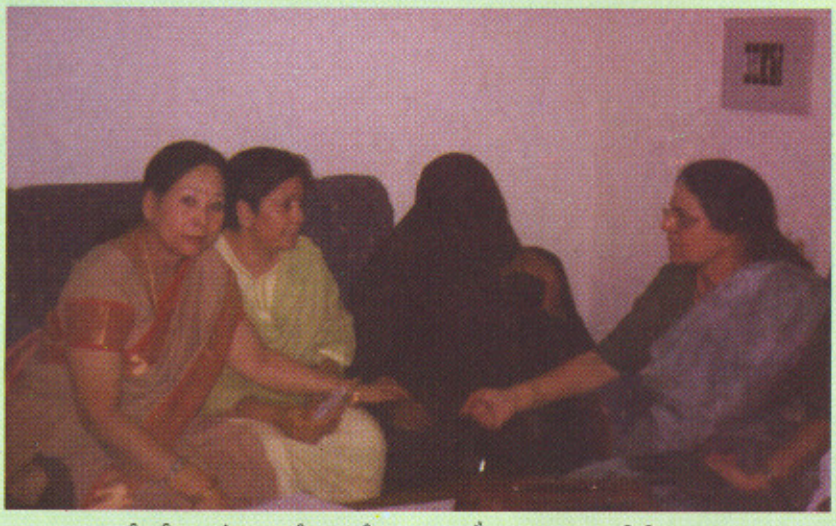

सुश्री नीवा कंवर, सुश्री यास्मीन अब्रार और अध्यक्ष डा. गिरिजा व्यास इमराना (चेहरा ढका हुआ) के साथ

महत्वपूर्ण निर्णय

उच्च न्यायालय ने तलाक के कानून को कठोर बनाया

● तलाक संबंधी कानून की कमियों को दूर करने के प्रयास में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे पतियों/पत्नियों के लिए सख्त मार्ग-निर्देश निर्धारित किए हैं जो अपनी सहमति एकतरफा रूप से वापस ले लेते हैं और इस प्रकार विखंडित विवाह के बारे में दूसरे पक्ष के लिए समस्या पैदा कर देते हैं।

न्यायालय ने एक पति द्वारा अपनी सहमति की वापसी को दुराशयी, निराधार और न्यायविरुद्ध ठहराते हुए एक महिला को, जिसके पति ने चालाकी से उसे तलाक की परस्पर सहमति पर राजी कर लिया था, तलाक की डिग्री दे दी। समझौते के सभी लाभों का फायदा उठाते हुए – जैसे उसके विरुद्ध लगाए गये सभी आरोपों को वापस ले लेना और पत्नी तथा पुत्री के भरण-पोषण के दावे को छोड़ देना – पति समझौते से मुकर गया, यद्यपि उसने दूसरा विवाह कर लिया था और इस विवाह से उसका एक बच्चा भी था।

न्यायालय ने तलाकशुदा महिला को अंतरिम निर्वाह-व्यय दिया

● दिल्ली के एक न्यायालय ने हाल ही में एक अंधी मुस्लिम महिला को, जिसे अपने पति का घर दहेज के लिए सताए जाने के कारण छोड़ना पड़ा था, 700 रुपये अंतरिम निर्वाह-व्यय के रूप में दिए जाने का आदेश दिया।

पति की इस दलील को ठुकराते हुए कि उसने फरजना को तलाक दे दिया था और इसलिए वह किसी राहत की हकदार नहीं है, अतिरिक्त सैशन जज ने अवर न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि "इस चरण पर वृहत्तर मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। जब तक कि निर्वाह-व्यय की अर्जी पर निर्णय नहीं दिया जाता, महिला अंतरिम निर्वाह-व्यय की हकदार है।"

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 – दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित।
सम्पादक : गौरी सैन